

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ ।

संख्या: 140-विनियम-23/पाकालि/06-11-विनियम/88 दिनांक : 19 अगस्त, 2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 (यथा संशोधित) के विनियम 5(1)बी, 5(1)डी एवं उक्त विनियमावली के परिशिष्ट-सी में निहित प्राविधान को चयन वर्ष 2006 - 2007 के लिये निम्नवत् शिथिल किया जाता है :-

1. (क) अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु (40% पदोन्नति कोटा) अवर अभियन्ता (प्रवरण श्रेणी) पद पर निर्धारित चार वर्ष की अर्हकारी सेवा की बाध्यता का प्राविधान चयन वर्ष 2006-2007 के लिये समाप्त किया जाता है।
- (ख) डिग्री धारक अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु (8.33% पदोन्नति कोटा) निर्धारित 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा में 5 वर्ष की शिथिलता प्रदान करते हुये इसे 5 वर्ष किया जाता है।
2. विनियमावली के संगत विनियमों में उक्त शिथिलता मात्र चयन वर्ष 2006-2007 के लिये ही प्रभावी होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 140(1)-विनियम-23/पाकालि/06-11-विनियम/88 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव को।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ, केस्को, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक (केस्को) कानपुर।
5. अध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 6वाँ तल, शक्ति भवन (विस्तार) लखनऊ को उनके पत्र संख्या-371 दिनांक 23.05.06 के संदर्भ में प्रेषित।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (प्रथम)/महाप्रबन्धक (द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा बैठक संख्या-63(88)/2006 दिनांक 25.07.06 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अधिकारी गण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मुख्यालय/लेखा स्टाफ शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,


(जावेद अहमद)

अनुसचिव (विनियम)